भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2777
05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न गोदाम

2777. श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदामों को किराए पर लेने बनाम भांडागारण निगमों के माध्यम से उनका निर्माण करने की लागत प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और
(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशों/निष्कर्षों तथा उन पर सरकार द्वारा क्या उत्तरवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2024-25) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किराए पर ली गई भंडारण सुविधाओं के किराए पर होने वाले व्यय तथा स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता के अनुरक्षण पर होने वाली लागत का तुलनात्मक आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण/अध्ययन कराए जाने की सिफारिश की थी।

तदनुसार, "भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण एवं किराए पर लिए गए गोदामों पर होने वाले व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण" करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। हालाँकि, बाद में यह तय किया गया कि यह अध्ययन किसी प्रतिष्ठित संस्थान को सौंपा जाए। प्राप्त कोटेशनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरांत, यह कार्य दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली को सौंपा गया।

(ख): संदर्भ की शर्तें **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

लोक सभा मे दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2777 के भाग (ख) के उत्तर मे उल्लिखित अनुबंध

"भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण की तुलना में किराए पर होने वाले व्यय के तुलनात्मक विश्लेषण" संबंधी अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तें

1. पृष्ठभूमि

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की मांगों पर डीएफजी (2025-26) संबंधी आठवीं रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता को बनाए रखने की लागत की तुलना में किराए पर ली गई भंडारण सुविधाओं के लिए किराए के व्यय का आकलन करने के लिए एक अध्ययन/सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2024-25 के आँकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 147.00 लाख टन की स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता उपलब्ध थी, जबकि इसके तुलना में 261.09 लाख टन की कहीं अधिक किराए पर ली गई भंडारण क्षमता उपलब्ध थी।

समिति को अवगत कराया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर ली गई भंडारण क्षमता पर निर्भरता का प्रमुख कारण यह है कि भंडारण निगमों तथा निजी निवेशकों के माध्यम से गोदामों को किराए पर लेना अथवा उनका निर्माण कराना, भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले गोदामों के निर्माण एवं रखरखाव की तुलना में अधिक किफायती है। तथापि, स्वामित्व वाली तथा किराए पर ली गई भंडारण क्षमताओं के बीच पर्याप्त अंतर होने के बावजूद, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व भंडारण के रखरखाव की लागत की तुलना में किराए पर होने वाले कुल व्यय का कोई व्यापक आकलन या मूल्यांकन नहीं किया गया है।

व्यवस्थित विश्लेषण के अभाव में यह पूरी तरह से पता लगाना मुश्किल है कि क्या किराए पर ली गई भंडारण सुविधाओं पर ज़्यादा निर्भर रहने की वर्तमान व्यवस्था दीर्घकाल में वास्तव में अधिक किफायती है या नहीं। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किराए पर ली गई भंडारण सुविधाओं के लिए किराए के व्यय और स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता बनाए रखने की लागत की तुलना करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण/अध्ययन कराया जाए। यह अध्ययन भारतीय खाद्य निगम की भंडारण रणनीति की वास्तविक लागत-प्रभावशीलता के संबंध में मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा भंडारण अवसंरचना में भविष्य के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायक होगा।

2. अध्ययन का उद्देश्य और कार्य-क्षेत्र

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना होगा कि क्या भारतीय खाद्य निगम के लिए अपनी स्वयं की भंडारण सुविधाएं स्थापित करना और उनका रखरखाव करना उचित होगा।

अध्ययन में निम्नलिखित का आकलन किया जाएगा:

- किराए पर ली गई भंडारण सुविधाओं पर होने वाला व्यय।
- स्वामित्व वाली भंडारण सुविधाओं के निर्माण/अधिग्रहण तथा उनके रखरखाव और संचालन की लागत।

उक्त अध्ययन करने के लिए, निम्नलिखित कार्य-क्षेत्र प्रस्तावित है :

आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण

- एफसीआई के पास मौजूद भंडारण क्षमता (जिसमें साइलो भी शामिल हैं) और एफसीआई द्वारा किराए पर ली गई क्षमता (जिसमें राज्य सरकार, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, पीईजी स्कीम, पी डब्ल्यूएस 2010 और निजी पक्ष जैसी अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं) का पूरी तरह से विश्लेषण करें।
- उपयोग में लाई गई भंडारण क्षमता के आधार पर क्षेत्रों का आकलन करना।
- भंडारण से संबंधित पीक और लीन सीजन तथा औसत भंडारण उपयोगिता का अध्ययन करना।
- प्रमुख हितधारकों (सरकारी संस्थाओं, भांडागार संचालकों आदि) से बातचीत करने के लिए प्रमुख डिपो/क्षेत्रों (मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र) का क्षेत्रीय भ्रमण करना।

वित्तीय निहितार्थों का आकलन

- पिछले 10 वर्षों में एफसीआई द्वारा विभिन्न एजेंसियों को किराए के रूप में भुगतान की गई कुल लागत का अनुमान।
- किराये पर लिए गए और अपने मालिकाना हक वाले भंडारण की लागत के रुझानों की तुलना प्रति यूनिट (प्रति टन) के आधार पर करना।
- पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराया दायित्वों के मद में किए गए व्यय की, समान भंडारण क्षमता के निर्माण/अधिग्रहण अथवा उसके रखरखाव पर होने वाली लागत की तुलना में, वित्तीय निहितार्थों की समीक्षा करना।
- वर्षभर सामरिक भंडारों के भंडारण के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता तथा उस पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए व्यय की पहचान करना तथा उसकी तुलना किराए पर ली गई एवं स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता के उपयुक्त मॉडल से करना।

विश्लेषण और सिफ़ारिश

- भविष्य में खरीद अथवा निवेश के लिए उपयुक्त मॉडल (जैसे—अधिग्रहण, निर्माण, पट्टे पर लेना आदि) का सुझाव देना।

3. अपेक्षित परिणाम:

- भंडारण लागत के अनुकूलन के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें देना।
- भविष्य की अवसंरचना रणनीति (निर्माण बनाम किराया) के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जहाँ स्वामित्व वाली भंडारण अवसंरचना अधिक व्यवहार्य हो।

4. समीक्षा समिति:

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गठित समीक्षा समिति समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करेगी और अध्ययन के दौरान आवश्यक सुझाव देगी।

5. प्रदेय, समय-सीमा एवं भुगतान अनुसूची

सम्पूर्ण अध्ययन निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार चार (04) माह की अवधि में पूरा किया जाएगा:

क्र. सं	प्रदेय	समय-सीमा	भुगतान %
1.	शुरुआती रिपोर्ट	टी+ 21 दिन	10%
2.	अंतरिम निष्कर्ष रिपोर्ट	टी + 60 दिन	35%
3.	अंतिम रिपोर्ट का मसौदा	टी+ 90 दिन	45%
4.	अंतिम रिपोर्ट (एफसीआई के साथ विचार-विमर्श पर आधारित)	टी+ 120 दिन	10%
